जीवन दीप समिति

छत्तीसगढ. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज के सभी वर्गो को प्रभावी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व है। सभी के लिये स्वास्थ्य के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा प्रदेश में बहुस्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा संरचना स्थापित की गई है। जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र है।

कोई भी सेवा बिना जनभागीदारी के आशानुरूप पूरा नही किया जा सकता है। इसी आशा से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के गुणात्मक सुधार तथा सेवाओं के नियोजन, प्रबंधन एवं संचालन में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एवं गैर शासकीय स्त्रोतो से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से प्रत्येक जिला चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति का गठन किया जा चुका है। इन समितियों का पंजीयन अविभाज्य मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है।

रोगी कल्याण समिति का गठन सिविल अस्पताल, ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक किया जा चुका है।

उपरोक्त समितियों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियो को निःशुल्क दवा एवं जांच इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आकस्मिक चिकित्सा सेवायें भी प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

राज्य में रोगी कल्याण समिति द्वारा जिले में उल्लेखनीय कार्य किये गये है। स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में समितियों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा खुली चर्चा आयोजित की गई। चर्चा के दरम्यान प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार–विमर्श किया गया। इस आधार पर समितियों को सशक्त करने तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

समिति में ऐसे गणमान्य समाज सेवी एवं सक्रिय सदस्यों को लेने का निर्णय लिया गया जो कि चिकित्सालय के संचालन में पर्याप्त रूचि ले सकें तथा चिकित्सालयों की तस्वीर बदल सकें।

समितियों को स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें अधिकार भी दिये जायेंगे। श्रेणी के आधार पर विभिन्न चिकित्सालयों के लिये शासन द्वारा बजट का प्रावधान भी रखा गया है।

अब ये समितियां ''जीवन दीप समिति'' के नाम से कार्य करेंगी। लेखा–जोखा, मासिक बैठक तथा मासिक प्रतिवेदन भेजने के साथ ही अस्पताल संचालन के लिये महत्तवपूर्ण निर्णय भी जीवन–दीप समिति ले सकेगी।